International Journal of Social Science Research (IJSSR)
Volume- 2, Issue- 1 | January - February 2025 ISSN: 3048-9490

सिवान जिले के गोरिया कोठी विकासखंड में मनरेगा योजना के अन्तर्गत जल संसाधन प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Runakant[1], Dr. Sadhana Rani[2]
[1]Research Scholar, Department of Geography, VSSD College, Kanpur
[2]Professor, Department of Geography, VSSD College, Kanpur

शोध सारांश :-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसकी शुरुआत 2006 में भारत सरकार के द्वारा किया गया। मनरेगा ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें 100 दिनों के रोजगार की गारंटी के साथ काम की मांग करने पर 15 दिनों के अंदर काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। इस शोध का उद्देश्य मनरेगा के माध्यम से जल संसाधन का प्रबंधन, ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन एवं लोगों के जीवन स्तर पर पढ़ने वाले प्रभाव को जानना है। शोध विधि के तहत प्राथमिक आंकड़ों का संकलन गांव लाल हटा एवं जामों से 70 प्रतिभागियों के माध्यम से दैव निदर्शन पद्धति के तहत साक्षात्कार एवं अनुसूची विधि द्वारा किया गया है। वहीं द्वितीय आंकड़ों का संकलन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं बिहार सरकार, बिहार आर्थिक सर्वे 2022-23 तथा जिला सांख्यिकी कार्यालय, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से प्राप्त किया गया हैं। इस शोध में 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया है, जिसमें 80% पुरुष एवं 20% महिलाएं हैं। वहीं 80% लोगों का मानना है कि उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। 57% लोगों का मानना है कि ग्रामीण गरीबों को कम करने में मदद मिली है।मनरेगा योजना के माध्यम से जल संरक्षण को भी प्रोत्साहन मिला हैं। वस्तुतः मनरेगा के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में सुधार के साथ ग्रामीण पलायन को कम करने में मदद मिली है|

मुख्य शब्द: मनरेगा, जल प्रबंधब, विकास, रोजगार, जीवनस्तर।

परिचय

भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि कार्य मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है कृषि में छिपी हुई और मौसमी बेरोजगारी बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। वस्तुत: ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के तहत समय-समय विभिन्न योजनाओं को संचालित करती रही है। इसी क्रम में वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा) आंध्र प्रदेश के आनंदपुर जिले से शुरू किया गया। 1 अप्रैल 2008 से इस पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसे 2009 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा) के नाम से जाना जाता है।

दरअसल ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास एवं अकुशल श्रम उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। मनरेगा के तहत रोजगार की मांग करने वालों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। पंजीकृत परियार को रोजगार की मांग करने पर 15 दिनों के अंदर यदि रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। वस्तुत: काम घर के 5 किलोमीटर के अंदर उपलब्ध कराया जाता है। यदि 5 किलोमीटर से अधिक दूरी है तो मजदूरी का 10% अतिरिक्त भुगतान किया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र:

वर्तमान शोध कार्य बिहार के सिवान जिले के गोरिया कोठी विकासखंड पर आधारित है। यह विकासखंड जिले के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 138 किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इसका कुल जनसंख्या 223709 है जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। वही 2011 के जनगणना के अनुसार 63223 श्रमिक इस विकासखंड में रहते है ।

चित्र 1: अध्ययन क्षेत्र का मानचित्र

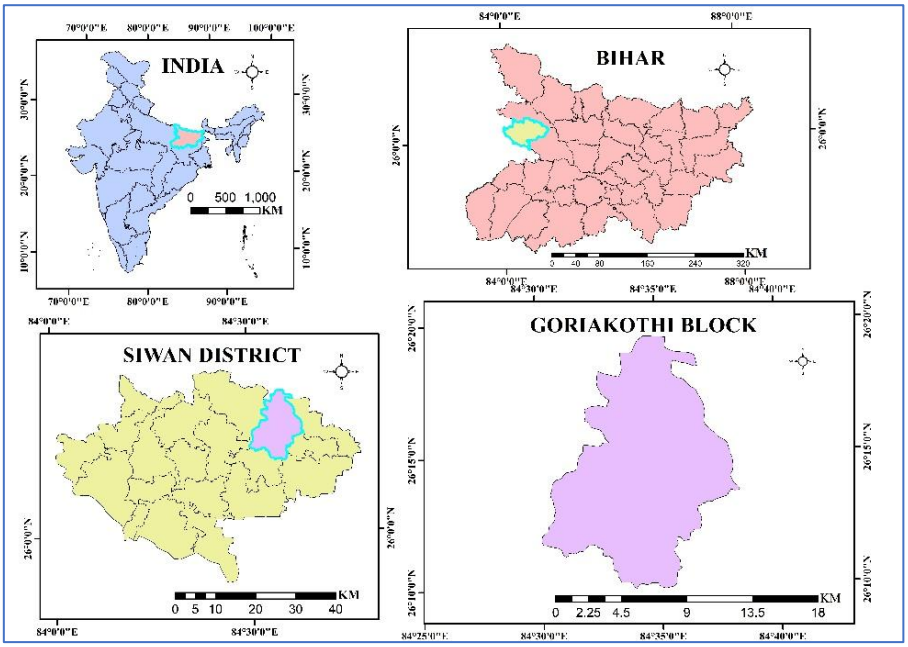

साहित्य समीक्षा

साहित्य की समीक्षा शोध प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसके माध्यम से शोध की समस्या, शोध परिकल्पना, शोध अंतराल एवं शोध प्रारूप तैयार करने में मदद मिलती है।

प्रसाद(2012) मनरेगा के विभिन्न उद्देश्यों एवं विशेषता तथा मनरेगा के लिए निधि उपलब्ध कराने के प्रतिरूप के अध्ययन आपकी माध्यम से बताया कि रोजगार उपलब्ध कराने में विशेष कर कृषि कार्य के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कुमार(2014) हरियाणा के सिरसा, अंबाला और हिसार जिले के अध्ययन किया और बताया कि मनरेगा जैसे विकास कार्यक्रम का सामाजिक अंकेक्षण बहुत जरूरी है। अध्ययन में उन्होंने पाया कि ग्राम पंचायत एक वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण कराते है लेकिन लोगों द्वारा बहुत कम मुद्दे उठाए जाते हैं।
सिसाल एवं शर्मा(2014) अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के दोइमूख पंचायत में मनरेगा योजना पर अध्ययन किया गया और पाया कि अधिकांश मनरेगा श्रमिकों को योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है जैसे की कार्य के दिन मजदूरी का दर आदि।

नायर(2022) द हिंदू के लेख के अनुसार अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा चार राज्यों में किए गए अध्ययन के अनुसार मनरेगा कोविद-19 के कारण हुए लॉकडाउन के कारण हुए आए नुकसान का 20-80% की भरपाई करने में मदद की है।

नायर(2023) द हिंदू में प्रकाशित लेख के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय के सामाजिक अंकेक्षण पर प्रबंधन सूचना प्रणाली का हालिया उत्तर के अनुसार राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं है। 34 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 6 पंचायत ने सामाजिक अंकेक्षण का 50% का आंकड़ा पार किया

शोध कार्य का उद्देश्य

1. योजना के माध्यम से जल संसाधन प्रबंधन के संबंध में किये गये कार्यों के बारे में जानना।
2. सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानना ।
3. रोजगार सृजन के बारे में जानना ।
4. लोगों के जीवन स्तर पर पढ़ने वाले प्रभाव को जानना ।

शोध विधि

शोध कार्य प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित हैं। प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह जामों एवं लालाहाता गांव से किया गया है। गांव का चुनाव बहु स्तरीय विधि के तहत लॉटरी पद्धति के द्वारा किया गया हैं। दैव निदर्शन पद्धति के तहत साक्षात्कार एवं अनुसूची विधि द्वारा आंकड़ों का संग्रह किया गया है। द्वितीयक आंकड़ों का संग्रह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं बिहार सरकार, बिहार आर्थिक सर्वे 2022-23, जिला सांख्यिकी कार्यालय, विकासखंड कार्यालय एवं पत्र पत्रिकाओं का माध्यम से किया गया है

आंकड़ों का विश्लेषण एवं परिणाम

आंकड़ों के संग्रह के बाद वर्गीकरण एवं सारणी बनाई गई है। आंकड़ों का विश्लेषण कर इसका परिणाम निकाला गया है। मनरेगा योजना रोजगार सृजन के साथ जल संरक्षण एवं प्रबंधन में भी महत्वपूण भूमिका निभा रहा है। इस योजना के माध्यम से बाढ़ नियंत्रण, जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचय, सूख निवारण एवं नहर सिंचई से संबंधित कार्य किये जा रहे हैं। तालिका-1 में गोरिया कोठी ब्लॉक में मनरेगा के माध्यम से किए गए कार्यों का विवरण दिया गया है। वस्तुतः मनरेगा के माध्यम से ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के स्तर पर कार्यों को संचालित किया गया है। लीलारो औरंगाबाद पंचायत में बाढ़ से सबंधित सबसे अधिक आठ कार्यों को पुरा किया गया है। जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचय से संबंधित सबसे अधिक 33 कार्य पंचायत सरारी उत्तर में किया गया है। सूखा निवारण से संबंधित सबसे अधिक 43 कार्यों का संचालन सिसई ग्राम पंचायत में किया गया है। वहीं नहर सिंचाई से संबंधित कार्य में सबसे अधिक सरारी दक्षिण ग्राम पंचायत में सात कार्यों को पुरा किया गया है।

तालिका 1 : मनरेगा के अंतर्गत जल प्रबंधन से संबंधित किए गए कार्य (2020-21 से 2023-24)

पंचायत	बाढ़ नियंत्रण		जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचय		सूखा निवारण		नहर सिंचाई	
	ग्राम पं पंचायत	पंचायत समिति	ग्राम पं पंचायत	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति
आंगया			3		1		5	4
बरहोगा प्रासोटिम								
भीती	3		2		6		6	
बिंदवाल							2	
दुधारा		1	1		5		1	1

गोरियकोठी			4		4		3	
हार्दपुर	1		14		3		3	
हेतिमपुर	2						2	2
जामों		1	1					
कर्णपुर	3		13		2		2	3
लिलारो औरंगाबाद	8						2	
महम्मदपुर	1	2		7			2	1
मझवलिया	1	1	3				1	1
मुस्तफाबाद			8				2	
हरिहारपुरकला			4		1		6	
सैदपुर 1			19				5	
सैदपुर 2			10		6		5	1
सनी बसन्तपुर			7				3	
सारारी दक्षिण			1				7	
सरारी उत्तर	1		33		2		4	
सतवार	3		11				2	2
सिसई	2		2		43		3	

स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2024(nrega.nic.in)

सारणी संख्या-2 प्रतिभागियों के लिंग संरचना

क्रम सं०	चर(लिंग)	प्रतिभागियों की सं०	प्रतिशत (%)
1	पुरुष	56	80
2	महिला	14	20
	कुल	70	100

चित्र 2 :पुरुष महिला प्रतिभागियों की लिंग संरचना

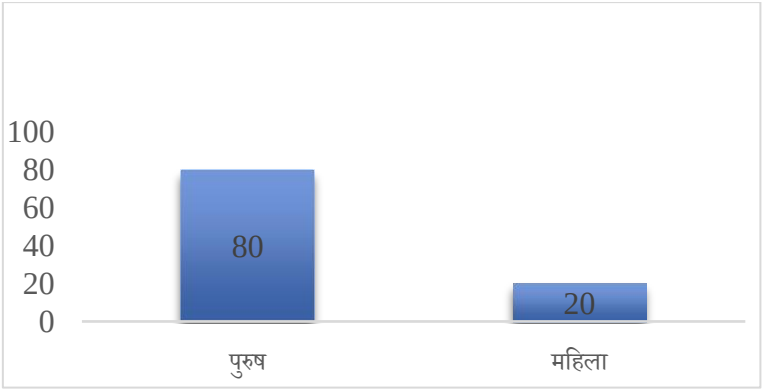

सारणी संख्या 2 से स्पष्ट होता है कि 70 प्रतिभागियों में से 56 पुरुष है जो 80 प्रतिशत है। वहीं महिलाएं 14 है जो केवल 20 प्रतिशत है।

सारणी संख्या -3 , प्रतिभागियों की शैक्षणिक की स्थिति

क्रम सं०	चर(शैक्षणिक स्थिति)	प्रतिभागियों की सं०	प्रतिशत (%)
1	अशिक्षित	10	14.28
2	प्राथमिक	25	35.71
3	माध्यमिक	22	31.42
4	उच्च माध्यमिक	13	18.57
	कुल	**70**	100

चित्र 3 :प्रतिभागियों की आवास की स्थिति प्रतिशत

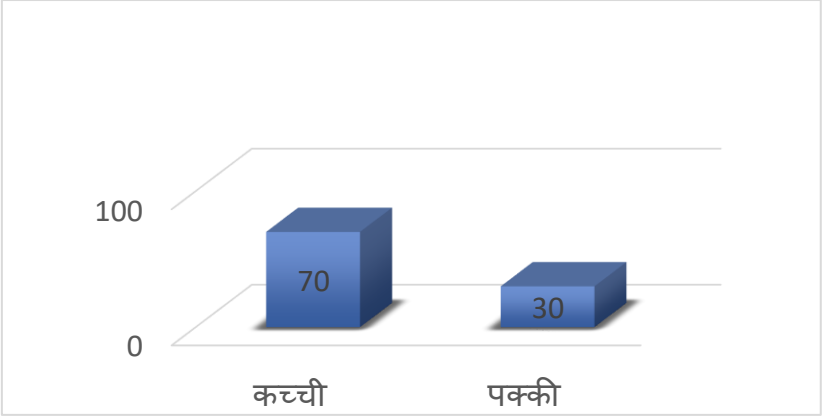

उपर्युक्त सारणी यह दर्शाती है कि 70 प्रतिभागियों में से सबसे अधिक 35.71 प्रतिशत प्राथमिक स्तर तक पढ़े हैं। 14.28 प्रतिशत अशिक्षित हैं। वहीं 31.42 प्रतिशत माध्यमिक स्तर तक पढ़ाई की हैं।18.57 प्रतिशत उच्च माध्यमिक तक पढ़ाई किए हैं।

सारणी संख्या- 4 , प्रतिभागियों की आय की स्थिति

क्रम सं०	चर(मासिक आय)	प्रतिभागियों की सं०	प्रतिशत (%)
1	<3000	18	25.71
2	3000-6000	25	35.71
3	6000-9000	20	28.57

4	9000>	07	10
	कुल	70	100

चित्र 4: प्रतिभागियों शैक्षणिक स्थिति प्रतिशत

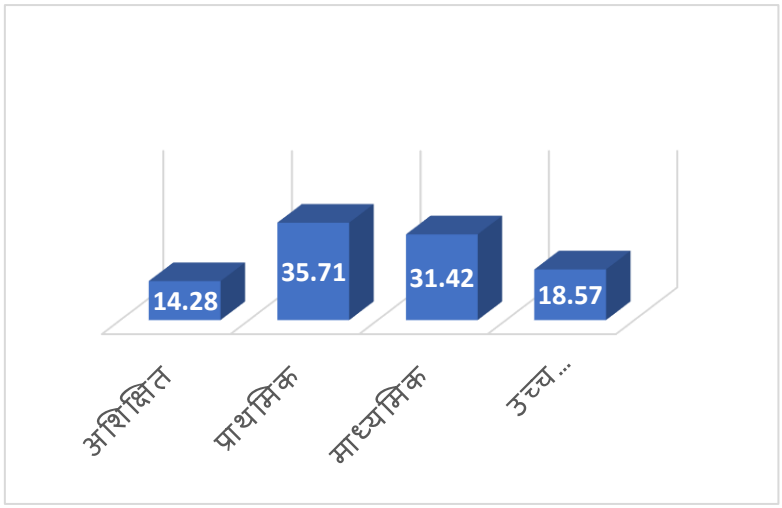

सारणी तीन से पता चलता है कि 25.71प्रतिशत प्रतिभागियों की आय मात्र 3000 रूपये से भी काम है।वहीं 35.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आय 3000-6000 रूपये के बीच हैं।28.57 प्रतिशत लाभार्थियों की आय 6000-9000 रूपये के बीच तो 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आय 9000 रूपये से अधिक हैं ।

सारणी संख्या- 5 , प्रतिभागियों की आवास की स्थिति

क्रम सं०	चर(घर के प्रकार)	प्रतिभागियों की सं०	प्रतिशत (%)
1	कच्ची	49	70
2	पक्की	21	30
	कुल	70	100

चित्र 5: प्रतिभागियों की आय की स्थिति (हजार मे)

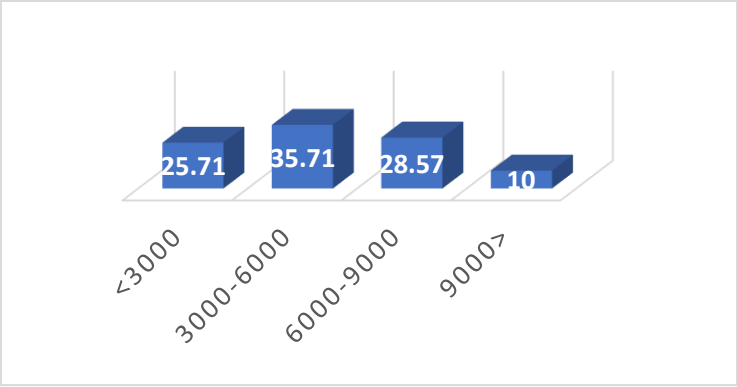

सारणी संख्या चार से स्पष्ट होता है कि 70 प्रतिशत प्रतिभागियों की घरे कच्ची हैं वही 30 प्रतिशत प्रतिभागियों की घरे पक्की हैं।

सारणी संख्या- 6 , प्रतिभागियों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता

क्रम सं०	चर(सुविधा)	प्रतिभागियों की सं०	प्रतिशत (%)
1	उपलब्ध	52	74.28
2	उपलब्ध नही	18	25.71
	कुल	70	100

चित्र 6: प्रतिभागियों मे स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता प्रतिशत

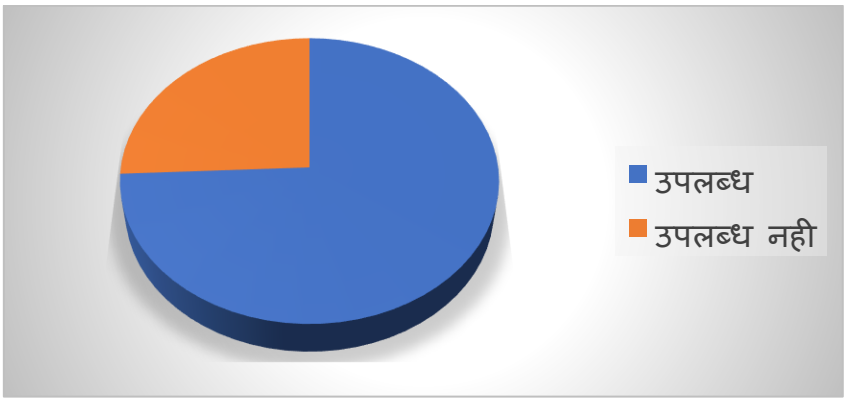

सारणी 5 से स्पष्ट होता है कि 74.28 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता है। वही 25.71प्रतिशत के पास स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। वस्तुत हर घर नल जल योजना के तहत लोगों तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। लेकिन लोगों को हमेशा जल उपलब्ध नहीं हो पता हैं।

सारणी संख्या- 7 , प्रतिभागियों के जीवन स्तर पर योजना का पढ़ने वाला प्रभाव

क्रम सं०	चर(जीवन स्तर)	प्रतिभागियों की सं०	प्रतिशत (%)
1	सुधार	56	80
2	सुधार नही	14	20
	कुल	70	100

चित्र 7:प्रतिभागियों के जीवन स्तर पर योजना का पड़ने वाला प्रभाव

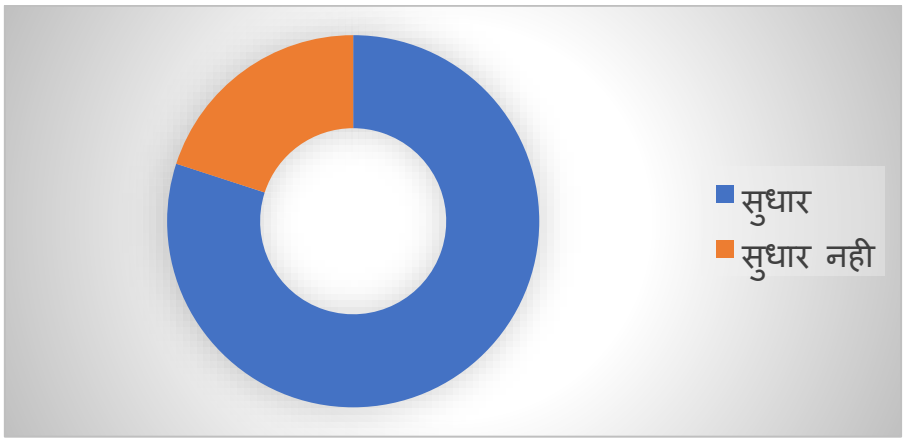

सारणी संख्या 6 से स्पष्ट होता है कि 80 प्रतिशत लोगों ने माना है कि उनके जीवन स्तर में योजना के आने से सुधार हुआ है। जबकि 20 प्रतिशत लोगों का मानना है कि योजना के तहत एक वर्ष में केवल 100 दोनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है इससे जीवन स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है।

सारणी संख्या- 8 ग्रामीण गरीबी के स्तर पर प्रभाव

क्रम सं०	चर(ग्रामीण गरीबी)	प्रतिभागियों की सं०	प्रतिशत (%)
1	ग्रामीण गरीबी में कमी में मदद	40	57.14
2	ग्रामीण गरीबी में कमी में मदद नही	30	42.85
	कुल	70	100

चित्र 8: ग्रामीण गरीबी के स्तर पर प्रभाव

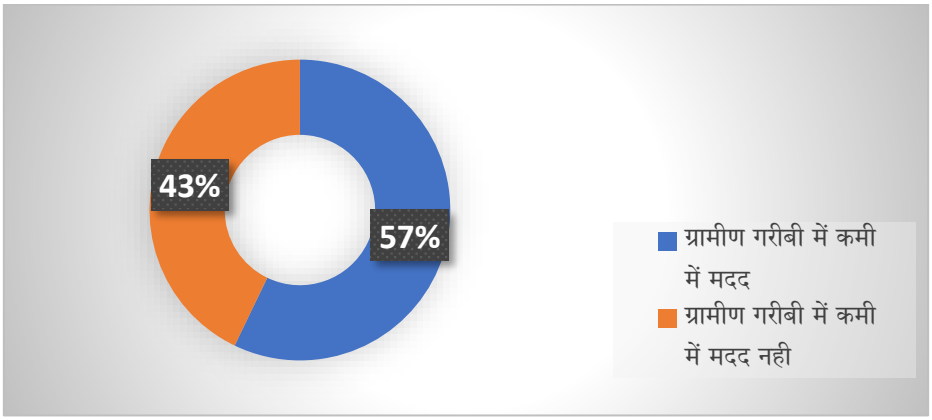

सारणी-7 यह दर्शाता है कि 54.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना है कि ग्रामीण गरीबों को कम करने में योजना ने मदद किया है। वही 22.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामीण गरीबों को कम करने में योजना सफल नहीं हुई हैं।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना(मनरेगा) ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार एवं जल संसाधन के प्रबंधन में अहम भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण श्रमिकों का सौदेबाजी क्षमता को मजबूत किया है। मनरेगा ने बेरोजगारी के प्रभाव को कम करने में मदद किया है। लाभार्थियों के आय में वृद्धि हुई है। लाभार्थियों के क्रय क्षमता में वृद्धि हुई है। लाभार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुआ है।जल संरक्षण में मनरेगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हैं । वस्तुतः योजना के माध्यम से परंपरागत जल संरक्षण के तरीके को पुनर्जीवित किया जा रहा हैं जिससे जल संसाधन संरक्षण एवं संवर्धन हो रहा हैं । हालांकि मनरेगा के तहत फंड की कमी एवं अनियमितता एक बड़ी समस्या है। लाभार्थियों को समय पर रोजगार की मांग करने पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वही लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिलता है। समय पर भुगतान न होना एवं फर्जी उपस्थिति बनाना भी एक बड़ी समस्या है। सामाजिक अंकेक्षण बेहतर न होना इस योजना का प्रभाव को कम करता है। यद्यपि इन समस्याओं के बावजूद मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन करने, बहुआयामी गरीबों को कम करने एवं जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिसंपत्तियों का सृजन हुआ है, परिणाम स्वरुप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिलने से पलायन काम हुआ है|

संदर्भ सूची

1. Ghose, Ajit K. 2015. 'Addressing the Employment Challenge: India's MGNREGA'. Employment Working Paper no. 105, International Labour Office, Geneva
2. Faridi, A., Bhamra, A., & Arora, K. 2017. 'Mapping Scope of MGNREGS on SDGs'. New Delhi: Development Alternatives Group
3. पाल, एच और कुमार डी(2018)," मनरेगा योजना- प्रभाव एवं उपलब्धियां का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन", रिसर्च गुरु वॉल्यूम -, 12 यीशु-1, ISSN: 2349-266
4. सिन्हा, बी(2013), महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सृजीत परिसंपत्तियों की संभरणीयता को बढ़ाने की गुंजाइश की पहचान। भोपाल: भारतीय वन प्रबंधन संस्थान।
5. V. Kumar, "Social Audit in MGNREGA: A case study of three districts of Haryana," Shiv Shakti International Journal in Multidisciplinary and Academic Research, 2014, Vol. 3 (3), pp 177-181
6. Nair, K.S (2023). "MGNREGS made up for up to 80% income Loss during Pandemic: Study", October 14,2023. IST- New Delhi
7. देता, पूजा और अन्य(2014), कार्य करने का अधिकार बिहार में भारत की रोजगार गारंटी स्कीम का मूल्यांकन करते हुए। वॉशिंगटन डीसी: विश्व बैंक|
8. कुमार, एस(2014)." महात्मा गांधी नरेगा से पूर्व आर्थिक विकास एवं बेरोजगारी की समस्या" SOCRATES2.1(2014): 146-166

9. Kanungo M. (2012), Rural Development Through Microfinance, MGNREGA and Women Empowerment, Odisha Review
10. Roul S. (2010). Greeting India through MGNREGA-Convergent Action for Benefits beyond Employment Generation, State of India's Livelihoods Report, Sage Publication
11. Dhsmena Poonam (2012). "Poverty Alleviation Through MNREGA".ESRI Journal, volume 3,pp-114-121
12. 17- Rajesh (2015) "Working an MNREGA: A Study of Haryana and Punjab" Ph.D. Thesis, Kuruksherta University, Kuruksheta.